औरत का महिलाओं की संगति में बिना महरम के हज्ज करना

[हिन्दी – Hindi – هندي]

शैख़ा मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ حج المرأة بدون محرم في رفقة النساء ﴾

« باللغة الهندية »

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

औरत का महिलाओं की संगति में बिना महरम के हज्ज करना

प्रश्नः

एक औरत कहती है : मैं सऊदी राज्य में काम करने के कारण यहाँ निवास करती हूँ। मैं पिछले वर्ष (१४०४ हि०) हज्ज के लिए गई थी, और मेरे साथ मेरी दो सहेलियाँ भी थीं, जबकि हमारे साथ कोई महरम (अर्थात् ऐसा पुरुष जिसके साथ औरत का विवाह हमेशा के लिए हराम हो) नहीं था। तो हमारे इस कृत्य का क्या हुक्म है और क्या हमारा हज्ज सही है ?

उत्तरः

यह काम और वह बिना महरम के हज्ज करना है : इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस के आधार पर हराम और निषिद्ध है, उन्हों ने कहाः मैं ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना जबकि आप भाषण दे रहे थे : औरत महरम के बिना यात्रा न करे।

तो एक आदमी खड़ा हुआ और फरमाया : ऐ अल्लाह के पैगंबर ! मेरी पत्नी हज्ज करने के लिए निकली है और मैं ने फलाँ युद्ध में जाने के लिए नाम लिखवा रखा है □ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : जाओ अपनी पत्नी के साथ हज्ज करो। इसे बुखारी (हदीस संख्या: ३००६) और मुस्लिम (हदीस संख्या: १३४१) ने रिवायत किया है।

अतः औरत के लिए बिना महरम के यात्रा करना जाइज़ नहीं है, और महरम: वह आदमी है जिस पर वह औरत नसब के द्वारा या किसी वैध कारण के द्वारा हमेशा के लिए हराम और निषिद्ध हो, तथा उसके अंदर इस बात की शर्त है कि वह बालिग और बुद्धिमान (समझदार) हो, चुनाँचे छोटा बच्चा महरम नहीं हो सकता है, तथा बुद्धिहीन व्यक्ति भी महरम नहीं हो सकता है, तथा महिला के साथ महरम के होने की तत्वदर्शिता (हिक्मत) उसकी सुरक्षा और रक्षा है ताकि जो

लोग अल्लाह से भय नहीं रखते हैं और अल्लाह के बंदो पर दया नहीं करते हैं, उनकी ख्वाहिशें उनके साथ खिलवाड़ न कर सकें।

तथा इस बात के बीच कोई अंतर नहीं है कि उसके साथ औरतें हैं या नहीं हैं, या वह सुरक्षित होगी या सुरक्षित नहीं होगी, यहाँ तक कि यदि वह अपने घर वालों की औरतों के साथ जाए और वह अतयंत सुरक्षा में हो, तब भी उसके लिए जाइज़ नहीं है कि वह बिना मह्रम के यात्रा करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब उस आदमी को अपनी पत्नी के साथ ह्ज्ज करने का आदेश दिया तो उस से यह नहीं पूछा कि उसके साथ अन्य औरतें होंगी या नहीं होंगी और क्या वह सुरक्षित होगी या नहीं, तो जब आप ने उसके बारे में विस्तार से पूछताछ नहीं किया तो इससे पता चला कि इसके बीच कोई अंतर नहीं है, और यही बात सही है।

हमारे वर्तमान समय में कुछ लोगों ने लापरवाही से काम लिया है और उन्हों ने औरत का बिना महरम के हवाई जहाज़ में जाना जाइज़ ठहरा लिया है, हालांकि इसमें कोइ संदेह नहीं कि यह प्रत्यक्ष सामान्य प्रमाणों के विपरीत है, और हवाई जहाज़ के द्वारा सफर करना अन्य माध्यमों के समान ही है और खतरे से पीड़ित होने की संभावना है।

चुनांचे हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करने वाली औरत को जब उसका महरम हवाई अड्डे पर रूख्सत कर देता है तो वह उसके मात्र प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही वापस लौट जाता है, और वह अकेले ही बिना महरम के होती है, और हवाई जहाज़ समय पर उड़ान भर सकता है और विलंब भी हो सकता है। तथा हो सकता है कि वह निर्धारित समय पर उड़ान भर ले लेकिन उसे कोई समस्या पेश आ जाए जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़े, या वह जिस हवाई हड्डे के

लिए उड़ान भरा है उसके अलावा किसी अन्य हवाई अड्डे पर उतरे, इसी प्रकार हो सकता है कि वह उसी हवाई अड्डे पर उतरे जिसकी ओर वह जा रहा है परंतु किसी कारण निर्धारित समय के बाद उतरे, और यदि मान लिया जाये कि वह निर्धारित समय पर उतर गया तो हो सकता है कि वह मह्लम जो उसे लेने के लिए आ रहा है किसी कारण निर्धारित समय पर आने से विलंब हो जाए, चाहे नींद की वजह से या गाड़ियों की भीड़-भाड़ के कारण, या उसकी गाड़ी में खराबी आ जाने से या इसके अलावा अन्य ज्ञात कारणों से, फिर यदि मान लिया जाए कि वह निर्धारित समय पर उपस्थित होता है और उसको ले लेता है तो जो व्यक्ति हवाई जहाज़ में उसके बगल में होगा हो सकता है कि वह ऐसा आदमी हो जो औरत के साथ छल करे और उस से उसका दिल लग जाए और औरत का दिल उसके साथ लग जाए।

सारांश यह है कि औरत को चाहिए कि अल्लाह तआला से भय रखे और डरे, अतः वह कोई भी यात्रा चाहे वह हज्ज की यात्रा हो या उसके अलावा अन्य यात्रा किसी महरम के साथ ही सफर करे जो बालिग और बुद्धिमान हो। और अल्लाह तआला ही सहायक है।

मजमूओ फतावा व रसाइल लिश-शैख अल-उसैमीन (२१/२१९-२२०).